सभी दलों के सहयोग से शान्तिपूर्ण चलेगा सदन : वासुदेव देवनानी

जयपुर। सोलहवीं राजस्थान विधानसभा के प्रथम सत्र की पुन: बैठकें 19 जनवरी से प्रारम्भ होंगी। इससे पहले गुरूवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई। देवनानी की राजस्थान विधानसभा में सदन चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन एक ऐतिहासिक पहल है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक की

> ■ **सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका मिले इसके लिए पूरे प्रयास किये जाएँ : भजनलाल शर्मा**

अध्यक्षता करते हुए कहा कि सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। विधान सभा का सदन अधिक से अधिक दिन चले इसके लिए सभी दलों के सभी सदस्यों को सकारात्मक सोच रखनी होगी। उन्होंने कहा कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सोलहवीं विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों की है। राज्यपाल के अभिभाषण को सभी सदस्यों को शान्तिपूर्वक सुनने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने आग्रह किया। राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है। सदन में राज्यपाल का पूरा सम्मान होना चाहिए, इसके लिए राज्यपाल अभिभाषण के समय शांति रखे व अभिभाषण को धैर्य पूर्वक सुने। सदन में तख्तियां या प्लेकार्ड कोई भी नहीं लाएं। देवनानी ने कहा कि सभी दलों को चर्चा के लिए नियमानुसार समय आवंटित किया जायेगा। समय सीमा में ही सदस्य अधिक से अधिक अपनी बात रखें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सदन में अपनी-अपनी बात रखने के लिए पक्ष व प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों की भावना एक समान होती है। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका मिले इसके लिए पूरे प्रयास किये जाएँ। सदस्य भी अपनी बात समय सीमा में रखने का प्रयास करें।

कांग्रेस के टीकाराम जूली ने कहा कि सदन में रखी गयी बातों को सरकार गंभीरता से लें और प्रश्नों के जवाब अगले सत्र से पहले आवश्यक रूप से प्रस्तुत कराये। उन्होंने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी पक्ष के साथ प्रतिपक्ष की भी है। उन्होंने अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि प्रतिपक्ष के सदस्य सदन में मर्यादापूर्ण व्यवहार से अपनी बात रखेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की यह नवीन और ऐतिहासिक पहल है। सदन संचालन में इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे।

विधानसभा में गुरूवार को राज्यपाल के अभिभाषण से पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल, कांग्रेस के टीकाराम जूली और अन्य दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

बिल्डर पर 3.10 लाख रु.हर्जाना

जयपुर, (का.सं.)। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने उपभोक्ता के खरीदे गए फ्लैट का तय समय में कब्जा नहीं देने, रजिस्ट्री नहीं करवाने व कमियों को दुरुस्त नहीं करने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। वहीं विपक्षी बिल्डर्स पर 3.10 लाख रुपए का हर्जाना लगाते हुए उन्हें दो महीने में फ्लैट की रजिस्ट्री परिवादी के पक्ष में करवाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही परिवादी को कहा है कि वह 7.10 लाख रुपए विपक्षी बिल्डर्स के यहां पर जमा कराए। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह निर्देश सपना पटेट व अन्य के परिवाद पर दिया। आयोग ने कहा कि दस्तावेजों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने फ्लैट का कब्जा तो दे दिया उसकी कमियों को दूर नहीं किया, जो सेवादोष की श्रेणी में आता है।

परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने मैसर्स त्रिमूर्ति कॉलोनाइजर्स एंड बिल्डर्स व एसए खालिद सहित अन्य की स्कीम त्रिमूर्ति कोहिनूर गार्डन में एक फ्लैट बुक कराया था। जिसकी कीमत 47,10,400 रुपए थी। परिवादिया ने 19 फरवरी 2015 को एग्रीमेंट किया और 35 लाख रुपए चेक के जरिए दे दिए, लेकिन बिल्डर ने फ्लैट का कब्जा नहीं दिया और ना ही सोलर लाइट, वाटर हार्वेस्टिंग व बोरिंग सिस्टम शुरू किया। इस दौरान विपक्षी ने उससे 23 दिसंबर 2017 को 6,95,952 रुपए ब्याज राशि की मांग की। वहीं परिवादी से बकाया 7.10 लाख रुपए लेकर उसके पक्ष में फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करवाई।

प्रधानमंत्री ने डूंगरपुर की महिला लाभार्थी से किया संवाद

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी संवाद में वीसी के माध्यम से भाग लिया। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत, वरिष्ठ आई.ए.एस. टी.रविकांत और रवि जैन मौजूद थे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी संवाद में वीसी के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने डूंगरपुर जिले से जुड़ी महिला लाभार्थी से संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। नए भारत के निर्माण का संकल्प चारों तरफ दिखाई दे रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का विकास रथ, विश्वास रथ है। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में यात्रा नहीं पहुंची है, वहां बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। लोगों की मांग को देखते हुए यात्रा 26 जनवरी से आगे फरवरी महीने में भी चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने अब जन आंदोलन का रूप ले लिया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर परिवार को पक्का घर, गैस कनेक्शन, पानी, बिजली, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। हमारा प्रयास है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी लाभ सुनिश्चित हो।

प्रधानमंत्री मोदी ने सागवाा पंचायत समिति की वरसिंगपुर ग्राम पंचायत से पाल माविता गांव की लाभार्थी ममता से संवाद किया।

ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं से उनके जीवन में बा बदलाव आया है। ममता बीए पास है तथा उन्हें योजनाओं का लाभ मिला है। ममता राजीविका समूह से जुड़ी है।

NAME CHANGE

I have changed my name from mohini devi to mohini korjani r/o e-1/318 shatrughan path chitrakoot vaishali nagar Jaipur

खोया पाया

प्लाट न एल-1, सुमेर नगर विस्तार, ब्लाक, गोल्यावास, सांगानेर, जयपुर का साईट प्लान कहीं खो गया है। मिले तो सुचित करे- रत्ना गुप्ता 9929422374

मैं तरुण मिश्रा पुत्र श्रीकमल कुमार मिश्रा निवासी 127-ए, प्रवासी नगर, मुरलीपुरा, जयपुर के.वी नं.2, झोटवाडा, जयपुर रोल नं.11638200 का ट्रांसफर सर्टिफिकेट रास्ते में गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें। मो.7665401178

सी.एम.को धमकी मामले में जेल अधीक्षक को हटाया

जयपुर। राजधानी की सेंट्रल जेल से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को लेकर दी गई धमकी के मामले में जेल अधीक्षक ओमप्रकाश शर्मा पर गाज गिरी है। सरकार ने जेल अधीक्षक को हटा दिया है। वहीं मामले तीन बंदियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है।

सेंट्रल जेल से पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर सीएम को शूट कर देने की धमकी देने का मामला हाई लेवल तक पहुंच गया है। जेल डीजी भूपेन्द्र दक से इस मामले में गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने रिपोर्ट मांगी है। उधर इससे पहले जेल डीजी भूपेन्द्र दक के निर्देश पर

> ■ **इससे पहले दो जेल वार्डन को संस्पेंड कर दिया गया था**

बुधवार रात हैड वार्डन अजय सिंह राठौड़ व वार्डन मनीष कुमार यादव को सस्पेंड कर दिया था। अब गुरुवार को जेल अधीक्षक को हटा दिया है। वे अगस्त महीने से कार्यवाहक जेल अधीक्षक के पद पर लगे हुए थे। उल्लेखनीय है कि जेल से बंदी ने पुलिस कंट्रोल रूम में बुधवार सुबह कॉल कर मुख्यमंत्री को शूट करने की धमकी दी थी। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि धमकी पोक्सो के मामले में बंद आमेर निवासी बंदी मुकेश इसरानी ने दी थी। इसके लिए उसने धोखाधड़ी के मामले में बंद चेतन से मोबाइल लिया था। मोबाइल में सिम बंदी राकेश की थी। तीनों बंदियों के खिलाफ लालकोठी थाने में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है। जिस बंदी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया था उसे कुछ दिन पहले ही सेंट्रल जेल परिसर में स्थित जिला जेल से सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। पहले वह विचाराधीन चल रहा था और कुछ समय पहले उसकी सजा तय होने के बाद उसे बड़ी जेल में शिफ्ट कर दिया गया था।

6 महीने क्यों 5 साल के फैसलों का रिव्यू कर लें : जूली

जयपुर, (का.प्र.)। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने गुरुवार को पीसीसी वॉर रूम में एक के बाद एक लगातार तीन बैठकों में लोकसभा चुनाव के मुद्दों से लेकर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पर मंथन किया गया। बैठक में वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़वाने के सुझाव पर ज्यादा चर्चा हुई। अशोक गहलोत की अनुपस्थिति में स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल, सदस्य परगट सिंह और कृष्णा अल्लावरु सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंद्र सिंह रंधावा, सचिन पायलट, सीपी जोशी सहित पार्टी के विधायक और प्रमुख नेता मौजूद रहे।

> ■ **कांग्रेस की तीन महत्वपूर्ण बैठकों में लोकसभा उम्मीदवार चयन और मुद्दों को लेकर चर्चा**

प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर से पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल के अंतिम 6 महीने में लिए गए फैसलों को रिव्यू करने की बात पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तो यहां तक कह दिया कि 6 महीने का क्यों 5 साल के कामकाज का रिव्यू करना चाहिए।

आम सूचना सुचित किया जाता है कि शॉप नम्बर डी-44, क्षेत्रफल 13.94 वर्गमीटर एवं शॉप नम्बर डी-45, क्षेत्रफल 13.94 वर्गमीटर, फतेहसिंह की धर्मशाला, स्टेशन रोड, जयपुर, राजस्थान के स्वामित्वाधिकार श्री शिव शंकर लखोटिया के स्वर्गवास दिनाँक 06.02.2022 के पश्चात् उनके विधिक वारिसान् में श्रीमती अनीता साबू, श्रीमती दीपा सोमानी, श्रीमती आशु श्यामसुन्दर झँवर एवं दीपक लखोटिया द्वारा निष्पादित दो अलग-अलग पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनाँक 30.11.2023 के द्वारा श्रीमती प्रेमलता लखोटिया को प्राप्त हुये। स्वर्गीय श्री शिव शंकर लखोटिया का श्रीमती प्रेमलता लखोटिया, श्रीमती अनीता साबू, श्रीमती दीपा सोमानी, श्रीमती आशु श्यामसुन्दर झँवर एवं दीपक लखोटिया के अलावा अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी एवं वारिस नहीं है। श्रीमती प्रेमलता लखोटिया से उक्त शॉप नम्बर डी-44, क्षेत्रफल 13.94 वर्गमीटर एवं शॉप नम्बर डी-45, क्षेत्रफल 13.94 वर्गमीटर को श्री कर्मवीर सिंह पुत्र श्री बचन सिंह क्रय कर रहे हैं तथा उक्त क्रय बाबत् मेरी अभिभाष्या ऋणदात्री संस्था ICICI Bank Ltd. से ऋण प्राप्त कर रहे हैं। उक्त सम्पत्ति स्वामित्व एवं क्रय व ऋण बाबत् किसी भी व्यक्ति/संस्था/बैंक या अन्य किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप हो तो निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को अन्दर मियाद 7 दिवस में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित सम्पर्क करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति विधि अनुसार शून्य मानी जावेगी। पुलकित गर्ग, एडवोकेट
MZ-4, अलंकार टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016. मो. 09828084002

आम सूचना सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि प्लाट नम्बर 26 गंगोत्री नगर, त्रिवेणी नगर पुलिया के पास, गोपाल पुरा बाईपास जयपुर, श्रीमती वीणा के पति स्व. हनुमान सहाय मीणा पुत्र स्व. नाथूलाल का है। स्व. हनुमान सहाय मीणा के जीवन काल से ही इस प्लाट में कई किरायेदार 20-25 साल से रह रहे हैं। जिनसे किराया श्री हनुमान सहाय मीणा अपने जीवन काल मे लेते रहे एवं उनकी मृत्यु के बाद उनकी धर्मपत्नि श्रीमती वीणा प्राप्त कर रही हैं। वर्तमान मे उक्त प्लाट की मालिक श्रीमती वीणा हैं। अन्य किसी को भी प्लाट बैचने का हक नही है। किसी अन्य से कोई भी उक्त प्लाट नही खरीदे।
जयपुर (फैजान हुसैन) एडवोकेट
दिनांक 18.01.2024 मो.-8824515124

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर -0141-4901853
आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या-7/ख/13 जवाहर नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 136.00 वर्गगज का आवंटन श्री मुकुट बिहारी माथुर को किया गया गया था। जिसका आवंटन पत्र 21402 दिनांक 31/10/1973 एवं संशोधित आवंटन पत्र कमांक 381 दिनांक 27/02/1974 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रो का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम मे दिनांक 31/03/1992 को करवाया गया। श्री मुकुट बिहारी की मृत्यु दिनांक 14/10/2003 को हो जाने के कारण श्री सुरेन्द्र माथुर पुत्र स्व.श्री मुकुट बिहारी माथुर के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति एवं हकत्याग पत्र की छाया प्रतिप्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति / बैंक / संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञिप्त प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री सुरेन्द्र माथुर पुत्र स्व.श्री मुकुट बिहारी माथुर के पक्ष मे उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही करदी जावेंगी।
सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक प्लाट संख्या 11 क्षेत्रफल 151.1 वर्गगज वेटनरी हास्पिटल के पास, न्यू कॉलोनी सी-स्कीम, जयपुर में स्थित है, उक्त संपति स्वर्गीय श्री बृजेन्द्र कुमार गुप्ता कर्ता एचयूएफ को जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 17.07.1984 द्वारा प्राप्त हुई थी। श्री बृजेन्द्र कुमार गुप्ता व उनकी पत्नी श्रीमती उषा गुप्ता की मृत्यु के पश्चात उनके वरिष्ठ पुत्र श्री अवनी कुमार एचयूएफ कर्ता घोषित हुये तथा उनकी एकमात्र बहन श्रीमती पल्लवी कुमारी ने उन्हें उक्त संपति के बेचान बाबत एक रजिस्टर्ड मुख्यतारनामा द्वारा अधिकृत किया है। श्री अवनी कुमार उक्त संपति को श्री मनोज कुमार पंसारी को बेचान कर रहे है, उक्त सम्पति स्वामित्व, क्रय एवं ऋण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक या अन्य किसी भी पक्ष को किसी भी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप हो तो निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को अन्दर मियाद 7 दिवस में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित सम्पर्क करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति विधि अनुसार शून्य मानी जावेगी।
पुलकित गर्ग, एडवोकेट,मो.-9828084002

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक: 15635 **जाहिर आम-सूचना** दि.:18.01.2024
राजस्थान आवसन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 181/223 (LIG), (एरिया 60.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री शंकर लाल सिन्धी पुत्र श्री हेमन मल जी को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 7729 दिनांक 05.02.2002 को जारी किया गया। श्री शंकर लाल सिन्धी के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 26.06.2008 को उप पंजीयक - जयपुर - अष्टम के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री शंकर लाल सिन्धी द्वारा उक्त आवास का विक्रय दिनांक 11.07.2008 को श्रीमती उर्मिला सक्सैना पत्नी श्री जितेन्द्र प्रसाद सक्सैना के नाम किया जाकर विक्रय पत्र उप पंजीयक - सांगानेर-प्रथम, जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती उर्मिला सक्सैना की मृत्यु दिनांक 30.06.2023 को हो जाने के कारण वसीयतनामा के आधार पर इनकी पुत्री श्रीमती अनुपमा परवाल पत्नी स्व. श्री राकेश परवाल द्वारा उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हैं, श्रीमती अनुपमा परवाल पत्नी स्व. श्री राकेश परवाल का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। भवदीय,
सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-15579 दिनांक-18/01/24
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 163/225 (EWS), (एरिया 36.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री ताराचन्द पुत्र श्री मिर्चूमल को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1388 दिनाक 29.09.1999 को जारी किया गया। श्री ताराचन्द के पक्ष मे उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 29.09.2011 को उप पंजीयक-सांगानेर प्रथम, जयपुर, के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री ताराचन्द द्वारा श्री अंकित विजय पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार विजय को दिनांक 04.11.2011 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री अंकित विजय द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 03.04.2012 के द्वारा श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री सत्यनारायण माहेश्वरी को विक्रय कर उप पंजीयक-जयपुर-अष्टम के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती मंजू देवी द्वारा उक्त आवास का विक्रय दिनांक 11.10.2017 को श्री रामबाबू शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा के नाम किया जाकर विक्रय पत्र उप पजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही हैं, श्री रामबाबू शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

22 जनवरी को आधे दिन का अवकाश रहेगा : भजनलाल

जयपुर। शुक्रवार से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा मुख्यालय में विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी विधायकों को विधानसभा में उपस्थित रहकर विपक्ष के सवालों का पुरजोर तरीके से जवाब देना और नए विधायकों को ज्यादा से ज्यादा समय सदन में रहने की बारे में निर्देशित किया।

इसी दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को राजस्थान में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। वहीं भाजपा कार्यालय में आने वाले दिनों में मंत्री बैठकर जनसुनवाई करेंगे। बैठक के बाद मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि सभी मंत्रियों को आने वाले समय में भाजपा प्रदेश कार्यालय में जनसुनवाई के निर्देश दिए हैं। बैठक में सभी विधायकों ने सदन

> ■ **विधायक दल की बैठक में विपक्ष को घेरने की बनाई रणनीति**

चलाने के लिए अपने-अपने सुझाव दिए।

विधायक दल की बैठक में मंच पर सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को जगह दी गई थी। भाजपा विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पहले ही ऐलान कर चुकी है। कांग्रेसी विधायकों ने बड़ी संख्या में विधानसभा में सरकार के खिलाफ सवाल लगाए हैं। ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर आज भाजपा विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई। खास तौर पर मंत्रियों को यह बताया गया कि किस तरह से सदन में जवाब देना हैं, क्योंकि भजनलाल की कैबिनेट के अधिकतर मंत्री पहली बार विधानसभा में जवाब देंगे। बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नहीं पहुंचीं। वहीं राजे समर्थित विधायक प्रताप सिंह सिंघवी सीएम के पहुंचने से पहले ही कार्यालय से निकल गए। इससे पहले मुख्यमंत्री के भाजपा ऑफिस पहुंचने पर आरएएस परीक्षा के अभ्यर्थियों ने आभार जताया।

'सी.बी.एस.ई. ने कैसे किया प्रार्थना पत्र निरस्त?'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी कर पूछा है कि गर्ल्स स्कूल को संबद्धता देने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट को क्यों नहीं माना गया और बोर्ड ने अलग आधारों पर संबद्धता देने से इनकार क्यों किया। जस्टिस अवनीश झींगन की एकलपीठ ने यह आदेश स्वामी केशवानंद बालिका शिक्षण संस्थान, सीकर की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता भावना चौधरी बलवदा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता कई सालों से सीकर में बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिए स्कूल संचालित करता है। याचिकाकर्ता ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से

> ■ **गठित कमेटी की रिपोर्ट को क्यों नहीं माना गया और बोर्ड ने अलग आधारों पर संबद्धता देने से इनकार क्यों किया : हाईकोर्ट**

संबद्धता लेने के लिए गत वर्ष बोर्ड के समक्ष आवेदन किया था। इस पर बोर्ड ने जांच कमेटी बनाकर स्कूल का निरीक्षण कराया। वहीं बाद में जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद रिव्यू कमेटी बनाई गई। इस रिव्यू कमेटी ने निरीक्षण में स्कूल को लगभग सही माना और बोर्ड के समक्ष अपनी सकारात्मक रिपोर्ट भेज दी।

वहीं याचिकाकर्ता ने भी सभी आवश्यक दस्तावेज बोर्ड के समक्ष पेश कर दिए। याचिका में बताया गया कि बोर्ड ने गत 20 नवंबर को याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश में बोर्ड ने नए आधार बना लिए, जबकि जांच कमेटी और रिव्यू कमेटी ने अपनी जांच में अलग आपत्तियां लगाई थी। याचिका में बताया गया की बोर्ड ने संबद्धता नहीं देने के लिए जानबूझकर काल्पनिक आधारों पर याचिकाकर्ता का आवेदन निरस्त किया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 74/2023
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री वेंकट कुमार बजाज अध्यक्ष/प्रन्यासी ने पंजीकृत प्रन्यास श्री अग्रसेन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, जी-83, ट्यूलिप एनक्लेव, सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 338 जयपुर 1972 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत न्यास की बैठक कर प्रन्यास के नवीन प्रन्यासियों की नियुक्तिकर मनोनीत प्रन्यासियों के नाम प्रन्यास अभिलेख में दर्ज रिकार्ड कराने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुवे परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 22.12.23 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइन्दा तारीख पेशी 29.1.24
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
मोहर अदालत सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 02/24
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम (1) श्रीमती अनुराधा नाथ पत्नी स्व.श्री आशीष तँवर, निवासी-4678 कुन्दीगर भैरू जी का रास्ता, तीसरा चौराहा जौहरी बाजार, जयपुर (2) श्रेयांश तँवर पुत्र स्व.श्री आशीष तँवर, उम्र-9 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षिका, माता श्रीमती अनुराधा नाथ निवासी-उपरोक्त, निवासी जयपुर
विवाद स्थान जयपुर
मृतक स्व.श्री आशीष तँवर की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 16/2/2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम आशीष तँवर पुत्र स्व.श्री राजकुमार तँवर जाति... निवासी 4678 कुन्दीगर भैरू जी का रास्ता, तीसरा चौराहा जौहरी बाजार, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 16 माह 02 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 11 माह 01 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
मोहर अदालत आज्ञा से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैंशन न्यायालय
जयपुर महानगर-द्वितीय

आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स गोपाल ऑयल मील, जी-1-83, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करोली रजिस्टर्ड फर्म है। जिसके एक साझेदार श्री राम गोपाल गोयल पुत्र श्री रामजीलाल गोयल निवासी हिण्डौन का दिनांक 22.8.1987 को निधन हो गया है। इनके स्थान पर इनके पुत्र श्री प्रमोद कुमार गोयल पुत्र श्री रामगोपाल गोयल निवासी हिण्डौन सिटी, जिला करौली फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हो रहे है। अत: इस परिवर्तन से किसी को कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवस के अंदर कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म, जिला उद्योग केन्द्र करौली को लिखित में अपनी आपत्ति पेश कर सकते हैं। सूचित रहे।

शोक सन्देश

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी **श्री नानूराम जी टाडा** सुपुत्र स्व. श्री लक्ष्मण जी टाडा का आकस्मिक स्वर्गवास 17.01.2024 को हो गया। तीये की बैठक 19.01.2023 को एवं कीर्तन 27.01.2024 को तथा 28.01.2024 को दादशा (पगड़ी रस्म) शीशी पूजन एंव प्रसादी का आयोजन निवास स्थानः टाडा की ढाणी, नारदपुरा, जमवारामगढ पर रखा गया है।
शोकाकुल- योगेश (CRPF), विनोद, कमलेश (पुत्र), छाजूराम, कालूराम, जगदीश, बाबूलाल आन्नद, बंशीलाल (भाई), रणवीर, काव्यांश, टप्पू, नमू, राजवीर, आर्यन, हर्षित उज्जवन, अभिनव (पौत्र) एवं समस्त टाडा परिवार।
9468935840, 9314271181, 9983319319

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आमेरा के नेतृत्व में मिला प्रतिनिधिमंडल

जयपुर। ऑल राजस्थान कोआपरेटिव बैंक इम्प्लॉयिज यूनियन, ऑफ़िसर्स एसोसिएशन व सहकारी साख समितियाँ इम्प्लॉयिज यूनियन के प्रांतीय महासचिव सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा के नेतृत्व में अपेक्स बैंक, सीसीबी, पेक्स, भूमि विकास बैंक पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शासन सचिव सहकारिता शुचि त्यागी से मुलाक़ात कर बधाई दी व सहकारी आंदोलन पर चर्चा की। आमेरा ने बताया कि सचिव सहकारिता से पेक्स व सहकारी बैंकों में नवाचार लागू करने पर चर्चा की गई।